बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–8935 दिनांक–20.05.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री मदन कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–904/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधुबनी सम्प्रति संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध कतिपय आरोप के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, मधुबनी के पत्रांक–1314 दिनांक–29.04.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य के समीक्षोपरान्त श्री कुमार से लिखित बचाव बयान की माँग की गयी। अनुवर्ती स्मारोंपरान्त बचाव बयान अप्राप्त रहने की स्थिति में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) एवं 17(5)(ख) के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त विभागीय कार्यवाही में मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही, विभाग से अनुरोध किया गया है कि प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में किसी वरीय पदाधिकारी को नामित करते हुए संचालन पदाधिकारी के साथ–साथ सामान्य प्रशासन विभाग को भी अवगत करायी जाए।

2. अतः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–8935 दिनांक–20.05.2025 के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध संचालित प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही में श्री शैलेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. आदेश पर प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0नि0(मधुबनी)–14/2021– 822 /खाद्य, पटना/दिनांक–29/05/2025
प्रतिलिपि–मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/श्री शैलेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–8935 दिनांक–20.05.2025 की प्रति के साथ)/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मदन कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–904/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधुबनी सम्प्रति संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव।